

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला - राजसमन्द

ख्यात 34 सम् 2022 किस्म मुकदमा प्रत्येक पत्र

भन्नासिंह बनाम उपप्रभारी वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>20 <sup>2</sup>/<sub>24</sub> प्रार्थी भन्नासिंह स्वयं द्वारा पत्रावली ताली का प्रार्थक पत्र पेश करने से पत्रावली (राजपेश दुई) प्रार्थी स्वयं से ही प्रार्थक पत्र बाबत प्रार्थक पत्र सिद्धो का पेश कर त्रिवेदन दिया कि प्रार्थक पत्र पेश करने के अधिकार की सुरक्षा रखते हुए एक प्रार्थक पत्र को सिद्धो कराना चाहता हूँ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थक पत्र सिद्धो कराने से इसी स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थक पत्र जारी किया जाता है। पत्रावली केवल सुनाने ही का नब्वर से करती। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>भन्नासिंह</p>

3  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द

